निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 883) पटना, मंगलवार, 3 सितम्बर 2024

सं0 10/न0प्र0नि0(विविध) 30/2024–1234/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
21 अगस्त 2024

विषयः– **स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।**

राज्य के स्थानीय नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को समय समय पर वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाता रहा है। इसी क्रम में विभागीय संकल्प सं0–2723 दिनांक–13.04.2017 द्वारा स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को पंचम वेतनमान पुनरीक्षण का लाभ क्रमशः दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ दिनांक–01.04.1997 से एवं षष्ठम वेतनमान पुनरीक्षण का लाभ दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ दिनांक–01.04.2007 से प्रदान किया गया है।

2. विभागीय संकल्प सं0–2723 दिनांक–13.04.2017 के साथ संलग्न अनुसूची के 41 पदों के अतिरिक्त 26 विभिन्न प्रकार के पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पंचम/षष्ठम वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0–3933 दिनांक–24.07.2018 से प्रदान किया गया है।

3. स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त मांगों पर विचार–विमर्श के उपरांत राज्य के नगर निकाय कर्मियों को पंचम एवं षष्ठम वेतनमान के आधार पर स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विभागीय समिति गठित की गयी। उक्त विभागीय समिति द्वारा पदवार वेतनमान निर्धारित करने के अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित परामर्श दिया गयाः–

''प्रशासी विभाग निकायवार सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का आकलन कर इस तथ्य के प्रति आश्वस्त हो लेना चाहेगा कि वर्द्धित व्यय भार का वहन आंतरिक स्रोत से किया जा सकता है। इस वर्द्धित व्यय भार के प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।''

4. विभागीय गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं वित्त विभाग द्वारा प्राप्त परामर्श के बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

(i) समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में स्थानीय नगर निकाय कर्मियों को सप्तम वेतनमान की स्वीकृति संलग्न अनुसूची के अनुरुप प्रदान की जाती है।

(ii) सप्तम वेतन पुनरीक्षण 01.01.2016 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ 01.04.2017 से प्रदान किया जाएगा।

(iii) सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नगर निकाय द्वारा अपने आंतरिक संसाधन से किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को वेतन एवं वेतन मद में जो राशि दी जाती है उसके अतिरिक्त इस मद में कोई राशि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी।

(iv) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों एवं जारी अनुसूची के अनुरुप वेतन निर्धारण किया जाएगा।

(v) उक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरुप वेतन पुनरीक्षण का लाभ स्थानीय नगर निकायों के सभी पेंशन भोगियों को भी अनुमान्य होगा एवं इसका पुनरीक्षण वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र के अनुरुप किया जाएगा।

(vi) अद्यतन अंतर वेतन के बकाए राशि का भुगतान नगर निकायों द्वारा अपने आंतरिक संसाधन स्त्रोत से आसान किस्तों में की जायेगी।

(vii) उक्त पुनरीक्षण के आधार पर वेतन निर्धारण का सत्यापन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किए जाने के पश्चात ही आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।

(viii) इसके कार्यान्वयन के फलस्वरुप वित्तीय भार के लिए सरकार कहीं से उत्तरदायी नहीं होगी।

5. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–21.08.2024 के मद संख्या–09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 883-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in